न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

''प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023''

पीठासीन अधिकारी– अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
17 / 2023	31.03.2023	24.04.2023

अनवान

1. हजारीलाल पुत्र भैरूलाल जाति रेगर आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. उदयराम पुत्र मांगीलाल जाति भाट आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल जाति भाट आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. लालूराम पुत्र महाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. सपरा पुत्री महाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. कस्तुरी बाई पत्नी भैरूलाल जाति रेगर आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. रतनलाल पुत्र भैरूलाल जाति रेगर आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र रोलिया में पेश हुई। हाजिर वकील प्रार्थी ने बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थी अपनी आराजीयात [illegible]रगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, प्रार्थी ने बताया कि मौजा रोलिया पटवार [illegible] रोलिया तहसील कपासन में स्थित आराजी संख्या 147 रकबा 0.42 हे0 आराजी [illegible] रकबा 0.23 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 हे0 कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5, 6 के संयुक्त [illegible]री एवं कब्जे काश्त की है। प्रार्थी आराजीयात की पत्थरग[illegible]/सीमांकन कराना चाह[illegible] चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:03:52 IST
Reason: SelfAttested

हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 – 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के खाता संख्या 264 में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा रोलिया पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन के जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 264 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 147 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 148 रकबा 0.23 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:03:52 IST
Reason: SelfAttested